FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम

चूनाराम बनाम हीराराम वगैरा 5

किस्म मुकदमा रा० वाद नं. 57/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/4/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
19/04/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 18/05/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	अ०नि० [illegible]

Scanned by CamScanner

18/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आनोड़ में रखी गई, वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं वादी संख्या-1. PW-1- चूनाराम पुत्र हीराराम जाति-जाट निवासी- आलानाडा (झाक) तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर व PW-2- जेठाराम पुत्र हरचन्दराम जाति- जाट निवासी- आलानाडा (झाक) तहसील - बायतु जिला- बाड़मेर तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- हीराराम पुत्र हरचन्दराम जाति- जाट निवासी- आलानाडा (झाक) तहसील - बायतु जिला- बाड़मेर का शपथ- पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है व हिन्दू विधि से शासित होते है तथा वादीगण प्रतिवादीगण संख्या-1 के जायदा पुत्र है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 एक ही पूर्वज हरचन्दराम के वंशज है जिनकी पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा- आलानाडा पटवार मण्डल- झाक तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर में खसरा नम्बर- 521 रकबा- 111.09 बीघा, खसरा नम्बर- 705/615 रकबा- 25.13 बीघा कुल रकबा- 137.02 बीघा की आई हुई है। कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा हरचन्दराम के नाम खातेदारी की थी तथा हरचन्दराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा हरचन्दराम की मृत्यु होने पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 को उक्त भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आने के कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि

चूनाराम

जेठाराम

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

...ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या-1 को अपने पिता स्व. हरचन्दराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का समान 1/3-1/3 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधि-नियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है और वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का आपसी बंटवाड़ा कर मौके पर काबिज है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए वादीगणो ने अपना 1/3-1/3 हिस्सा की भूमि का घोषणा करवाने हेतु यह घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,3 बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रवेलाराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया गया। वादीगणो की ओर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	से वादी साक्ष्य के रुप में PW-1 व PW-2 के तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रुप में DW-1 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के शपथ-पत्रों में वादीगण प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया गया। हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा होना साबित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-कालानाडा पटवार मण्डल-झाक तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर-521 रकबा-111.09 बीघा व खसरा नम्बर-705/615 रकबा-25.13 बीघा कुल रकबा-137.02 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे, अंतिम डिग्री पत्र जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

मुकदमा नं. 57 बाबत 97/...

Scanned by CamScanner

Jud/Civil
Part IV-10

नम्बर व तारीख अहकाम जो तामील हुक्म की जारी हुए

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री हेमाराम चौहान R.A.S. मुकाम बायतु

चूनाराम बनाम हीराराम वगैरा

बाबत रा० वाद 88, 188 RTAct

मुकदमा नं. 57/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कानोड़ व हाजरी श्री रिणछाराम सियाग एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री रेवताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि पक्षगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- कालानाडा पटवार मण्डल- झाक तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 521 रकबा- 111.09 बीघा व खसरा नम्बर- 705/615 रकबा- 25.13 बीघा कुल रकबा- 137.02 बीघा भूमि में पक्षगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय मुताबिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।

कौम / मुबलिंग / बाबत /

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 05 20 18 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर [stamp: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

Scanned by CamScanner

सेवामें

वादीगण

1. चुनाराम पुत्र हीराराम
2. चनणाराम पुत्र हीराराम
जाति-जाट निवासी-डालानाडा,
आडू तहसील-बायतु
जिला-बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हीराराम पुत्र हरचन्दराम
जाति-जाट नि० डालानाडा,
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण
बैंक, बायतु
3. तहसीलदार बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner